

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान ..... गंगानदी सिंह ..... बनाम ..... बलविन्द सिंह .....  
 प्रकरण संख्या ..... 43 ..... / 2020 अन्तर्गत धारा ..... 88, 91, 188 P.A.

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नाथ्यर एवम जो डाय याचना व
--------	-----------------------------------	---------------------------

30<sup>01</sup>/<sub>24</sub> वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 11/3/24 को पेश हो। Karnal

4<sup>3</sup>/<sub>24</sub> वादी अधिवक्ता उपस्थित। साक्ष्यवादी हेतु समय प्राप्त। अन्तिम से अन्तिम आदेश दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 18/3/24 को पेश हो।

18<sup>03</sup>/<sub>24</sub> वादी अधिवक्ता उपस्थित। साक्ष्यवादी हेतु समय प्राप्त। अन्तिम से अन्तिम आदेश दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 15/04/24 को पेश हो।

4<sup>5</sup>/<sub>24</sub> अधिवक्तागण उपस्थित श्री मान PO महोदय चुनाव कार्य में व्यस्त हैं पत्रावली दिनांक 20<sup>5</sup>/<sub>24</sub> को पेश हो। Karnal

20<sup>5</sup>/<sub>24</sub> वादी अधिवक्ता उपस्थित। साक्ष्यवादी से गवाह उपस्थित नहीं। घुब में कई अवसर दिए गए। बावजूद साक्ष्यवादी नहीं करवाई गई। लिहाजा साक्ष्यवादी बन्द की जाती है। वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 91 P.A. अन्तर्गत साक्ष्य से खारिज किया जाता है। पत्रावली गिनीत होकर नम्बर से कम होकर वापिस रफ्तार हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 श्री करणपुर